



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012021-224192
CG-DL-E-04012021-224192

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 4, 2021/ पौष 14, 1942
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 2021/PAUSHA 14, 1942

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2021

सं. एडी-01/1/2020-प्रशा.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/6/2018-सीएस.। (डी) (पार्ट) दिनांक 11.12.2020 के क्रम में, केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड-I (उप सचिव) स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों को वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में तदर्थ आधार पर वेतन मेट्रिक्स के स्तर – 13 (1,23,100-2,15,900) में, उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से, 31.12.2021 तक की अवधि के लिए अथवा इन पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नति प्रदान करते हैं :—

क्रम सं.	नाम (श्री/श्रीमती)	सीएसएल सं.	कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख
1	डेजी बारला गुरिया	6195	11.12.2020
2	जी. राजीव	5686	11.12.2020

2. उपरोक्त तदर्थ पदोन्नति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

1. तदर्थ पदोन्नति, निम्नलिखित न्यायालयी मामलों में निर्णय के अधीन होगी :—

- (क) सिविल रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी) सं. 13218/2009 में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.07.2011 के परिणामस्वरूप दायर एसएलपी (सि) सं. 30621/2011 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अन्य संबंधित मामले।
- (ख) अखिल भारतीय समता मंच एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सि) सं. 3490/2010 में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 23.08.2017 के परिणामस्वरूप एसएलपी (सि) सं. 31288/2017
- (ग) उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 12.11.2018 के विरुद्ध एस.एन. जसरा एवं राज कुमार के संबंध में एसएलपी सं. 5724-5725/2019
- (घ) कोई अन्य संबंधित न्यायालयी मामला।
2. यह तदर्थ पदोन्नति, नियुक्त अधिकारियों को अनिश्चित अवधि तक निदेशक के ग्रेड में बने रहने अथवा उक्त ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा उक्त ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।
3. सुश्री गरिमा सिंह एवं अन्य द्वारा दायर ओ.ए. सं. 3278/2010 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2011 तथा श्री रोहतास भानाकर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर 2004 के सी.ए. सं. 6046-6047 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.07.2014 के निर्णय के अनुसार अवर सचिव तथा उप सचिव की चयन सूचियों को अंतिम रूप प्रदान किया जाना।
4. तदर्थ आधार पर पदोन्नति की यह अवधि आरंभ में 31.12.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।
5. तदर्थ आधार पर प्रदान की गई यह पदोन्नति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

सुशील भूषण, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2021

No. AD-01/1/2020-Admin.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 4/6/2018-CS1 (D) (Pt) dated 11.12.2020, the President is pleased to promote following Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS to Sr. Selection Grade (Director) in the Pay Matrix Level - 13 (Rs.123100- 215900) purely on ad-hoc basis for a period up to 31.12.2021 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier w.e.f. the date shown against their names:—

Sl. No.	Name (Sh./ Mrs.)	CSL No.	Date of Assumption of Charge
1.	Daisy Barla Guria	6195	11.12.2020
2.	G. Rajeev	5686	11.12.2020

2. The above 'ad-hoc' promotion is subject to the following conditions:—

(1) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:

- (a) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
- (b) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court Judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI&Ors.

- (c) The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.
- (d) Any other connected court matter
- (2) The ad hoc promotions shall not confer any right on the officers to continue in the grade of Director indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- (3) Finalization of US and DS Select Lists in consonance with the Central Administrative Tribunal, Principal Bench's order dated 09.05.2011 passed in O.A. No. 3278/2010 filed by Ms. Garima Singh & Ors and Hon'ble Supreme Court's judgment dated 15.07.2014 in CA No. 6046-6047 of 2004 filed by Shri Rohtas Bhanakar & Ors. vs UOI &Anr.
- (4) The ad hoc promotions shall be initially for a period up to 31.12.2021 or until further orders, whichever is earlier.
- (5) The ad hoc promotions may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

SUSHIL BHUSHAN, Asstt. Director General (Admn.)